अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ग) विभाग

परिपत्र

विषयः राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों में पूर्ण शुद्धता हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के मास्टर डेटा की जॉच कर भिजवाने के संबंध में।

संदर्भः वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र कमांकःएफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/3666-4165 दिनांक 13.09.2019.

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग (EAD) की website पर उपलब्ध सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 13.09.2019 द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत वित्तीय संव्यवहारों/भुगतानों की प्रकिया में पूर्ण शुद्धता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के साथ–साथ कुछ अन्य बिन्दुओं की भी पालना हेतु निर्देशित किया गया है। इस परिपत्र में आहरण वितरण अधिकारियों के साथ–साथ विभागाध्यक्षों/बजट नियन्त्रण अधिकारियों को भी निर्देश जारी करते हुए नियत समय में पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। **परिपत्र के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के मास्टर डेटा की जॉच कर अधिकृत किया जाना भी प्रमुख है।** परिपत्र के बिन्दु सं.10 के अनुसार "इस अवधि में एक कार्मिक/अधिकारी का मास्टर डेटा सर्विस बुक से जॉच कर विभागीय डिजिटल लॉगिन से एकबारीय एडिट भी किया जा सकेगा परन्तु उसके पश्चात् यह फ्रीज हो जायेगा।" साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि **संवेतन माह जनवरी देय फरवरी, 2020** के बिल जनरेशन से पूर्व यह कार्यवाही सिस्टम पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संदर्भित वेतन माह एवं आगामी वेतन सिस्टम पर आहरित किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः उक्त परिपत्र के अनुपालन में कार्मिक (ग) विभाग से वेतन आहरित कर रहे शासन सचिवालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से निवेदन है कि वे Pay Manager पर अपनी Login ID में अपने मास्टर डेटा प्रविष्टियों की पूर्ण जॉच कर लें। कतिपय प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो वे अपने प्रशासनिक/नियन्त्रण विभाग में अधिकृत दस्तावेज के साथ सम्पर्क कर उक्त त्रुटि के संशोधन हेतु मास्टर डेटा फार्म प्रमाणित करवाकर इस विभाग को **दिनांक 30.11.2019 तक आवश्यक रूप** भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। नियत समयावधि में उक्त प्रमाणित मास्टर डेटा फार्म के अभाव में वेतन आहरण नहीं होने का उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।

(हेमपुष्पा शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी
शासन सचिवालय

कमांकःप.14(2)कार्मिक/ग–1/2013
जयपुर, दिनांकः 28 NOV 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1– एoसीoपीo, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त परिपत्र को आज ही कार्मिक विभाग की website पर upload कराने का श्रम करें।
2– नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय

वित्तीय सलाहकार